कार्यालय कलेक्टर, जिला– बीजापुर (छ.ग.)

चतुर्थ बंद निविदा

क्रमांक/ ९२० /कले./स्था./वित्त–2/2015, बीजापुर, दिनांक 08/04/2015

।। शासकीय वाहन के नीलामी हेतु चतुर्थ बंद निविदा सूचना ।।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर बीजापुर का एक पुराना शासकीय अपलेखित वाहन का बंद निविदा द्वारा विक्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाता है।

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का मॉडल एवं पी.ओ.एल.	स्थान जहां वाहन उपलब्ध है	धरोहर राशि (रू. में)	टीप
1	2	3	4	6	6
1	**CG-02/3940**	बुलोरो LX (डीजल)	ऑफिसर क्लब बीजापुर	**14,000-00** (चौदह हजार रूपये मात्र)	

नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में "कलेक्टर बीजापुर" को संबोधित कर भेजी जावेगी। लिफाफे के उपर "वाहन क्रमांक .... हेतु निविदा" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकार को निविदा के साथ धरोहर राशि **14,000-00** (चौदह हजार रूपये मात्र) बैंक टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कलेक्टर बीजापुर के नाम से देय हो जो जिला नाजिर शाखा के पास जमा किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा नही खोली जावेगी। निविदा स्वीकृत नही होने की दशा में धरोहर राशि वापसी योग्य होगी। निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि पृथक–पृथक लिफाफे में भेजा जावे या जमा किया जावे।
3. वाहन जहां पर जैसा हालत में है वहीं से उठाना होगा। निविदा राशि अंकों व शब्दों में अंकित करना होगा। राशि अंकन में किसी प्रकार का काट–छांट व सुधार होने की दशा में निविदा मान्य नही होगा।
4. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी, उन्हें निविदा की संपूर्ण राशि सूचना प्राप्ति के सात दिवस के अंदर जमा कर वाहन उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
5. सर्शत निविदा किसी भी दशा में मान्य नही होगी। निविदा को अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर को होगा। जिसके लिए किसी प्रकार का कारण बताना आवश्यक नही होगा।
6. **मुहरबंद निविदा दिनांक 08–05–2015 को दोहपर 3.30** बजे तक जिला नाजिर शाखा जिला कार्यालय बीजापुर में जमा कराई जा सकेगी।
7. **नियत समय तक प्राप्त निविदाएं दिनांक 08–05–2015 को सांय 5.00** बजे से कलेक्टर कार्यालय बीजापुर में खोली जावेगी। निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
8. निर्वर्तन हेतु प्रस्तावित वाहन शासकीय कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक देखा जा सकता है।

कलेक्टर
जिला– बीजापुर

पृ.क्रमांक/920 A /कले./स्था./वित्त–2/2015, बीजापुर, दिनांक 08/04/2015

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर .... (सर्व जिला) छ.ग. को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, बीजापुर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी **NIC** बीजापुर को सूचनार्थ, जिला कार्यालय बीजापुर के वेब–साईड मे अपलोड करना सुनिश्चित करे।
6. सर्व विभाग प्रमुख ...., जिला बीजापुर को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
7. मालजमादार, जिला कार्यालय बीजापुर को सूचनार्थ, कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करे।

कलेक्टर
जिला– बीजापुर